# न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या – 03/2017

लक्ष्मी कुमारी वनाम राज्य

## – :: आदेश :: –

16.2.17

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद अपीलार्थी लक्ष्मी कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आंगनवाड़ी वाद संख्या – 01/2017–18 के ज्ञापांक – 235–1 दिनांक 08.05.2017 द्वारा आवेदिका का आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या – 94 (नवसृजित विद्यालय, नंदलाली, संचालित केन्द्र भेलवा, वार्ड संख्या–07) के सेविका पद से चयन मुक्त किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि वह आंगनवाड़ी सेविका पद पर आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या – 94 (नवसृजित विद्यालय, नंदलाली, अंचल–सत्तरकटैया, ग्राम पंचायत–भेलवा) में कार्यरत है। अपीलार्थी के विरुद्ध में कोई शिकायत नहीं था, लेकिन अचानक दिनांक 04.02.2017 को अपीलार्थी को दुश्मनी के साथ गलत केस में दिनांक 04.02.2017 को गिरफ्तार कर लिया गया एवं दिनांक 16.02.2017 तक वह जेल में थी तथा उत्पाद विभाग के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की गई। तदुपरांत दिनांक 10.02.2017 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया द्वारा उनके आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के क्रम में आंगनवाड़ी केन्द्र बंद पाया गया तथा अपीलार्थी को दिनांक 04.02.2017 से 16.02.2017 तक जेल में बंद होने का उल्लेख किया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक – 181–1/ICDS दिनांक 11.04.2017 द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण पूछा गया एवं इनके द्वारा वाद संख्या 1/2017–18 से संबंधित पत्र दिनांक 08.05.2017 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया को भेज दिया गया। अपीलार्थी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए यह उल्लेख किया गया कि उत्पाद विभाग के पदाधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2017 को अवैध रूप से गिरफ्तार कर दिनांक 05.02.2017 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। स्पष्टीकरण में अपीलार्थी द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश से जमानत ले ली गई एवं गिरफ्तार होने के समय नशे में नहीं थी। साथ ही जप्त 2 लीटर महुआ एवं 02 ग्लास कहाँ से जप्त हुआ इसका उल्लेख भी प्राथमिकी में नहीं है। इस संबंध में दोनों गवाह अरूण यादव एवं प्रमोद यादव के अपीलार्थी के निवासीत टोले से दूर रहने एवं उनके साथ दुश्मनी होने का उल्लेख किया गया है। पूरे प्राथमिकी में गंदी राजनीतिक से दुस्प्रेरित होकर उनपर झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसाया गया था एवं दिनांक 16.02.2017 को जमानत के उपरांत वह न्यायिक हिरासत से बाहर आई एवं दिनांक 05.02.2017 से 16.02.2017 तक अवैध रूप से हिरासत में रखी गयी। अपीलार्थी द्वारा सदर थाना, सहरसा में रंगदारी मांगने हेतु कांड संख्या – 297/2017 दर्ज कराया गया एवं पुलिस निरीक्षक के द्वारा मामले की जाँच के उपरांत दायर पर्यवेक्षण टिप्पणी में मामले को सत्य पाया गया। अपीलार्थी द्वारा जेल में रहने के कारण दिनांक 05.02.2017 से 16.02.2017 तक अपने कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित रही। बिहार सेवा संहिता की कंडिका – 99 में किसी सरकारी कर्मी के गिरफ्तार होने की स्थिति में उसे निलंबित किया जाता है एवं धारा – 100 के अन्तर्गत जमानत पर रिहा होने के उपरांत निलंबन मुक्त कर दिया जाता है। परन्तु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा अपीलार्थी के अवैध रूप से गिरफ्तार होने एवं रिहा होने के उपरांत भी बिना मामले की जाँच किये सेविका के पद से बर्खास्त कर दिया गया एवं अपीलार्थी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के वाद संख्या–01/2017–18 में निर्गत आदेश को तत्काल स्थगित करते हुए उचित आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि आवेदिका अवैध शराब बिक्री के आरोप में उत्पाद विभाग द्वारा रंगे हाथ जेल गयी है, जो कि एक गंभीर आरोप है और जिससे आँगनवाड़ी के आने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० द्वारा विधिवत कारणपृच्छा एवं सुनवाई पर आदेश पारित किया गया है। आवेदिका द्वारा ग्रामीण राजनीति के तहत फंसाने की बात बतायी गयी है परन्तु उत्पाद विभाग के द्वारा रंगे हाथ इन्हें पकड़ा गया है।

अतः प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

16.2.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

16.2.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक......1111-2/ विधि, सहरसा, दिनांक– 27-07-2017.

प्रतिलिपि– ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी० डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
27-07-017